

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
प्रपत्र- 1

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) 2024 के अधीन स्वाभाविक मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु के मामले में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र ।

(भरे हुए आवेदन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा*)

1. (क) मृतक का नाम -
- (ख) उम्र -
- (ग) कार्य का स्थान -
- (घ) कार्य की प्रकृति(नियोजन) -
- (ङ) मृतक का स्थायी पता - ग्राम/मुहल्ला-
- पंचायत/वार्ड - पो0-
- थाना- अंचल/प्रखण्ड-
- जिला-

2. मृत्यु की विवरणी :-

- (क) मृत्यु का प्रकार (स्वाभाविक/दुर्घटना)
- (ख) मृत्यु की तिथि -
- (ग) समय - पूर्वाह्न/अपराह्न
- (घ) स्थान -
- (ङ) दुर्घटना का ब्योरा -

3. मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम एवं पदनाम -

4. पोस्टमोर्टम प्रतिवेदन (यदि लागू हो) निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम एवं पदनाम -

5. दावेदारों का ब्योरा :- मृतक के आश्रित निम्नांकित है :-

आश्रित/दावेदार का नाम/पता	मृतक के साथ संबंध	आधार संख्या	बैंक का नाम/शाखा	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी.

6. संलग्न दस्तावेज :- (आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न रहेंगे) :-

- (i) मृतक के आश्रित/आश्रितों का आवासीय प्रमाण-पत्र ;
- (ii) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची (आश्रित के निर्धारण के लिए) ;
- (iii) दुर्घटना मृत्यु की दशा में राजकीय चिकित्सा पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के चिकित्सक द्वारा निर्गत शव-परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट)। यदि शव-परीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सीय रूप से संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मृतक का अन्वेषण प्रतिवेदन या पंचनामा।
- (iv) दुर्घटना मृत्यु की दशा में दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना में दी गयी सूचना की प्रति अथवा यदि पुलिस थाना में जानकारी देना विधि द्वारा अपेक्षित न हो तो संबंधित मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य/जिला पार्षद के सदस्य या संबंधित शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा दुर्घटना के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र;
- (v) मृत्यु प्रमाण पत्र ;
- (vi) मृतक के उम्र का सबूत ;
- (vii) मृतक के कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें वह संलग्न था, यथास्थिति, संबंधित मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य/जिला पार्षद के सदस्य या संबंधित शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ;
- (viii) आवेदक की श्रेणी(सामान्य/अनु0 जाति/अनु0 जन जाति)का स्व घोषणा पत्र
- (ix) आवेदक की बैंक खाता विवरणी-स्वअभिप्रमाणित प्रति

स्वघोषणा

मैं / हम घोषणा करता / करती हूँ / हैं कि उपरोक्त सूचना मेरे / हमारे जानकारी के अनुसार सही है ।
मैं / हम घोषणा करता हूँ / हैं कि दी गयी सूचना अगर गलत पाई जाती है, तो मेरा / हमलोगों का दावा अवैधानिक माना जाएगा और मैं / हम कानून के तहत अभियोजन के भागी होंगे ।

साक्षी

- | | |
|----------------|----|
| 1. नाम एवं पता | 1. |
| (क) | 2. |
| (ख) | 3. |

दावेदार का हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

पावती

* मैं पति / पत्नी स्व0 ग्राम / मुहल्ला -
पंचायत / वार्ड पो0 - थाना - अंचल / प्रखण्ड
जिला का आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

कार्य प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक पिता / पति :-
..... ग्राम / मो० वार्ड नगर / पंचायत
पोस्ट थाना प्रखंड जिला के स्थाई
निवासी थे, जिनकी स्वाभाविक / दुर्घटना मृत्यु दिनांक को
(स्थान) में हुई है। मृतक मृत्यु पूर्व बिहार राज्य अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कामगार / शिल्पकार के रूप में नियोजित
थे। उनके कार्य की प्रकृति थी। मृतक के वैध निकटतम आश्रित
..... हैं, जिनका मृतक से का संबंध है। मृतक के वैध आश्रित / दावेदार
सरकारी योजना से आच्छादित होने के पात्र हैं; क्योंकि मृतक बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं
शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना , 2024 से आच्छादित हैं।

मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति / जिला पार्षद सदस्य
/ वार्ड पार्षद (शहरी क्षेत्र) का हस्ताक्षर व मुहर

स्वघोषणा पत्र

मैं (शिल्पकार एवं कामगार).....पिता/पति

ग्रामपोस्टथाना

प्रखंडजिला का स्थायी निवासी हूँ ।

1. यह की मैंजाति का नागरिक हूँ तथा यह जाति बिहार राज्य के अंतर्गत सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातिके अंतर्गत आता है ।
2. यह की मृतकआम आदमी बीमा योजना से आच्छादित नहीं था।
3. यह की मृतक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं था ।

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
आधार सं.

कार्यपालक दंडाधिकारी / लेख्य प्रमाणक

शपथ - पत्र

मैं..... पिता / पति

ग्रामपो० पंचायत / नगर वार्ड सं०

थानाप्रखंडजिलाका स्थायी निवासी हूँ। शपथ पूर्वक
बयान करता / करती हूँ कि :-

- 1 यह कि मृतक पिता / पति
- ग्रा० / मो०वार्ड सं० पो०पंचायत / नगर
-थाना प्रखंड जिला
- के स्थायी निवासी थे। इनकी स्वाभाविक / दुर्घटना मृत्यु दिनांक को हुई थी व मृत्यु का स्थान
- 2 यह कि मृतक राज्य सरकार की किसी वैसे बीमा योजना से आच्छादित नहीं है, जिनके लिए आंशिक अथवा पूर्ण अंशदान / प्रीमियम का भुगतान राज्य अथवा केंद्र या दोनों सरकार करती हैं।
- 3 यह कि मृतक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 एवं एतद संबंधी बनी नियमावली के अधीन मृत्यु / आवेदन की तिथि को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य नहीं है।
- 4 यह कि मृतक के वैध आश्रित / दावेदार को दुर्घटना मृत्युपरांत आपदा प्रबंधन विभाग से अनुदान अप्राप्त है।
- 5 यह कि मृतक की दुर्घटना मृत्यु का कारण बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 की कंडिका 2 (1) (क) के परन्तुक से भिन्न है।
- 6 यह कि मृतक मृत्यु पूर्व बिहार राज्य अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कामगार / शिल्पकार के रूप में नियोजित थे।
- 7 यह कि मृतक से मेरा संबंध का है व उनका मैं वैध आश्रित / दावेदार हूँ।
- 8 यह कि मृतक विवाहित / अविवाहित थे व मैंने (पति / पत्नी) उनके मृत्युपरांत पुनर्विवाह नहीं किया हूँ। यदि अनुदान राशि भुगतान के पूर्व मैं पुनः विवाह करता / करती हूँ, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को देना सुनिश्चित करूंगा / करूंगी।
- 9 यह कि मेरा आधार संख्या व जन्म तिथि है।
- 10 यह कि मेरी श्रेणी सामान्य / अनु० जाति / अनु० जन जाति है।
- 11 यह कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 या 2024 के अधीन मृत्यु लाभ के मामले में अनुदान पूर्व में नहीं मिला है।
- 12 यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी कागजात सही व सत्य हैं।
- 13 यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही व सत्य है।

अगर उपरोक्त बयान में अंकित विवरणी व संलग्न कागजात गलत पाई गई, तो मैं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई सहित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति पटना, बिहार द्वारा प्रदत्त राशि को वापस करना शामिल है, का पात्र होऊंगा / होऊंगी। सत्य जानकर मैंने अपना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान बना दिया हूँ।

इन्होंने मेरे समक्ष ही अपना हस्ताक्षर बनाया /
बायें हाथ के अंगूठे का निशान दिया।

अधिवक्ता
निबंधन सं०

शपथकर्ता का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान

स्थलीय जाँच प्रतिवेदन

स्थान :- तिनांक :- समय :-
 मृतक (पिता / पति) ग्राम / मो०
 वार्ड / पंचायत पोस्ट प्रखण्ड

जिला का स्वाभाविक / दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप उनके निकटतम आश्रित ()
 द्वारा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना , 2024 के अंतर्गत समर्पित दावा
 पत्र एवं संलग्न वस्तावेज की स्थलीय जाँच उपस्थित ग्रामीणों एवं पारिवारिक सदस्यों से आज दिनांक को की गई।

विचरणी निम्न है :-

1. मृतक की स्वाभाविक / दुर्घटना मृत्यु दिनांक को बजे
 में (स्थान) पर हुई है।
2. मृतक का अंतिम संस्कार (दाह संस्कार / सुपूर्द ए खाक) दिनांक को उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा
 ग्रामीणों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में (स्थान) पर किया गया है।
3. मृतक के निकटतम आश्रित / दावेदार (.....) द्वारा उक्त योजनांतर्गत आवेदन विहित प्रपत्र
 में सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दिनांक को समर्पित किया है, जो मृत्यु की तिथि से वर्ष माह
 दिन होता है।
4. योजना की कंडिका 4 (क) में उल्लिखित उम्र प्रमाण-पत्र के अनुसार मृतक का जन्म तिथि है व मृतक की
 आयु, मृत्यु की तिथि को, उम्र प्रमाण-पत्र के आधार पर वर्ष माह दिन होता है।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्य प्रमाण - पत्र के आधार पर स्व० मृत्यु के पूर्व
 नियोजन / व्यवसाय में संलग्न थे। स्थलीय जाँच के क्रम में ग्रामीणों ने भी बताया कि मृतक, मृत्यु के पूर्व
 थे। उक्त नियोजन / व्यवसाय विहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र
 कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत आच्छादित है / नहीं है।
6. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण - पत्र के आधार पर मृतक के वैध आश्रित
 (.....) है। [योजना की कंडिका 2 (1) (च) के अनुसार]
7. दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना का FIR पुलिस स्टेशन / थाना में दर्ज है, जिसका
 थाना कांड संख्या दिनांक है।
8. मृतक के शव का पोस्टमार्टम दिनांक को अस्पताल
 में हुआ।
9. मृतक की दुर्घटना मृत्यु का कारण बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन)
 योजना, 2024 की कंडिका 2 (1) (क) के परन्तुक से भिन्न है। (स्व घोषणा / शपथ पत्र के अनुसार)
10. मृतक योजना की कंडिका 4 (ख) i, ii व iii से आच्छादित नहीं है। (स्व घोषणा / शपथ पत्र के अनुसार)
11. मृतक का आश्रित / दावेदार बिहार का निवासी है। (आवासीय प्रमाण पत्र के अनुसार)
12. आवेदनकर्ता की श्रेणी सामान्य / अनु० जाति / अनु० जन जाति है। (स्व घोषणा / जाति प्रमाण पत्र के अनुसार)
13. मृतक विवाहित / अविवाहित थे व उनके आश्रित (पति / पत्नी) ने उनके मृत्युपरांत पुनर्विवाह नहीं किया है। यदि अनुदान राशि
 भुगतान के पूर्व वे पुनः विवाह करते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को देना सुनिश्चित करेंगे।
14. आश्रित/दावेदार को इस योजनांतर्गत अनुदान पूर्व में अज्ञात है, से संबंधित स्वघोषणा
 / शपथ - पत्र संलग्न है।

मेरे द्वारा दिये गए उपरोक्त बयान एवं घोषणा को मैंने पढ़कर / पढ़वाकर सुन व समझ लिया तथा सभी अंकित तथ्य सही
 याने पर अपने पूरे होशों - हवास में बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान निम्न गवाह के समक्ष किया
 / लगाया। अगर उपरोक्त बयान / घोषणा में अंकित विवरणी गलत पाई गई, तो मैं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई सहित बिहार शताब्दी
 असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि को
 वापस करना शामिल है, का पात्र होऊंगा / होऊँगी।
गवाह का नाम हस्ताक्षर / निशान

आश्रित / दावेदार का हस्ताक्षर
 / अंगूठे का निशान